फार्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमू (जिला–जयपुर ग्रामीण)

[illegible] बनाम [illegible] वगैरह

मुकदमा नम्बर :– 85 / 2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	[illegible]/2/25		
	[illegible]/4/25	[illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] [illegible] दिनांक 14/5/25 को पेश हो। [signature]	
	14/5/25	प. वादी उप। तहसीलदार चौमू से कुरेजा प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस कुरेजा हेतु दिनांक 21/5/25 को पेश हो। [signature]	
	21/5/25	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अतः आइन्दा कार्यवाही हेतु दिनांक 4/6/25 को पेश हो। [signature]	
	4/6/25	प. वादी उप। बहस रिपोर्ट हेतु समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस रिपोर्ट दिनांक 11/6/25 को पेश हो। [signature]	
	11/6/25	प. वादी उप। बहस कुरेजा पर सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं कुरेजा का अवलोकन किया गया। आवश्यकता वादी के तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजा के मुताबिक वादी का वाद अंतिम डिक्री किये जाने हेतु नियत किया गया। [signature]	

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

किशन [illegible] बनाम गोपाल वगैरा

मुकदमा नम्बर :- 85/2024

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		अतः वादी का वाद मुताबिक एकतरफा स्वीकार डिक्री किया जाता है डिक्री सूचक को लिखवाकर शामिल पत्रावली किया गया डिक्री पर्चा नक़ल पत्रावली फैसला शुमार होकर [illegible] नकल [illegible] करना हो तथा दाखिल दफ्तर हो [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ, जयपुर

(ग्रामीण) न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–85/2024

उनवान

लिछमण उर्फ लक्ष्मण पुत्र सुणाराम जाति अहीर जादिम निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. गोपाल पुत्र सुणाराम
2. छाजू पुत्र सुणाराम
   समस्त जाति अहीर जादिम निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–11.06.2025

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 08.01.2025 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट विधिवत रुप से प्राप्त हुये है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 22.04.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि वाके ग्राम देवथला, पटवार हल्का निवाणा, भू0अ0नि0 नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर राज0 में खाता संख्या नया 61 (खाता संख्या पुराना 76) जिसके खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.6900 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.6900 है0 भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. लिछमण पिता सुणाराम हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा0 खेजरोली खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1240/1 रकबा 0.2300 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.2300 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. छाजु गोपाल पित सुगाराम हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खेजरोली खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1240/2 रकबा 0.4600 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.4600 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। ाम डिक्री जारी हो। पंत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल ार हो। यह निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले ायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)
(फा0 ट्रे0/मुख्यालय)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–85/2024

उनवान

लिछमण उर्फ लक्ष्मण पुत्र सुणाराम जाति अहीर जादिम निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. गोपाल पुत्र सुणाराम
2. छाजू पुत्र सुणाराम
   समस्त जाति अहीर जादिम निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–85/2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि वाके ग्राम देवथला, पटवार हल्का निवाणा, भू0अ0नि0 नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर राज0 में खाता संख्या नया 61 (खाता संख्या पुराना 76) जिसके खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.6900 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.6900 है0 भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. लिछमण पिता सुणाराम हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा0 खेजरोली खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1240/1 रक़बा 0.2300 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.2300 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. छाजु गोपाल पित सुगाराम हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खेजरोली खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1240/2 रकबा 0.4600 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.4600 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

[illegible signature]

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं,जयपुर

मुकदमा सं0–85/2024
उनवान–पिदमण उर्फ लक्ष्मण बनाम गोपाल वगै0
निर्णय दिनांक–11.06.2025

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 11.06.2025 को जारी किया

मोहर

दस्तखत ....
सहायक [illegible]क्टर (फास्ट ट्रेक)
ओहदा........, जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

सहायक [illegible]क्टर (फास्ट ट्रेक)
[illegible], जयपुर